न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/135 **दायरा दिनांक : 12.08.2024**

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या
2. कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या
3. जमनालाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या
4. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या
   जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. पुष्पा बाई पुत्री गोपाल, जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, हाल मुकाम निवासी बांसखेडा, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राजस्थान
2. कैला बाई पुत्री नारायण, जाति कुम्हार
3. गोरा बाई पत्नी कालूराम, जाति मीणा
4. कालूराम पुत्र कंवरिया, जाति मीणा
5. सीताराम पुत्र कंवरिया, जाति मीणा
6. रामदयाल पुत्र कंवरिया, जाति मीणा
7. ममता पुत्री कंवरिया, जाति मीणा
8. छम्मा बेवा कंवरिया, जाति मीणा
9. मोना आयु 6 वर्ष नाबालिग पुत्री रंगलाल जरिये वली माता लाड बाई, जाति मीणा
10. कालूराम उर्फ कालूलाल, जाति मीणा
11. कैला बाई पत्नी छीतरलाल, जाति मीणा,
12. राजन्ती बाई उर्फ राज बाई पत्नी शंकरलाल, जाति कुम्हार
13. कैलाशी बाई पत्नी शंकरलाल, जाति कुम्हार
14. कंचन बाई पुत्री रामकल्याण
    जाति कुम्हार निवासीगण रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
15. लाडबाई बेवा रंगलाल, जाति मीणा, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
    .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अशोक कुमार बादल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 12.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 10/दावा/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2023 एवं संशोधित प्राथमिक डिकी दिनांक 27.03.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रीछवां, पटवार हल्का थडोल, तहसील अकलेरा, जिला

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

झालावाड के राजस्व क्षेत्र मे वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे जमाबन्दी संख्या 39 संवत 2070–2073 के तहत भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, बीड प्रथम लगानी 0.69 रूपये, भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, बारानी दोयम लगानी 16.32 रूपये, एवं भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 13 बिस्वा, लगानी 0.39 रूपये कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा कुल लगानी 17.40 रूपये स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2023 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2024 से वादिनी के पक्ष में वाद डिक्री कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय तथा संशोधित डिक्री पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादिनी के द्वारा धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत किया था, जबकि कानूनन सहखातेदारों के विरूद्ध धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद चलने योग्य नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर एक तरफा में प्राथमिक डिक्री व निर्णय व संशोधित डिक्री पारित की है जो कि हर तरह से कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड के माल में कुल 3 किता की 22 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण के वकील साहब के द्वारा दिनांक 08.02.2023 को नो इन्सट्रक्शन प्लीड कर दिया जिसकी सूचना हमारे पूर्व वकील साहब ने हमको नहीं दी और न ही नो इन्सट्रक्शन करने के बाद अधीनस्थ न्यायलय ने हमें नोटिस भेजकर सूचित नहीं किया गया और एक तरफा कानूनी कार्यवाही करके साक्ष्य लेकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय एवं संशेधित डिक्री पारित कर दी है जो कि सी. पी. सी. एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर तरह से कानूनन निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण की वास्तविकता इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 पुष्पा बाई वादिनी की माता नन्दू बाई पत्नी गोपाल, जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान के द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 25.03.90 को अपीलान्ट नम्बर 2 कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या, जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा के पक्ष में गवाही गवाहान करवाकर उसके पक्ष में निष्पादित कर दिया, तत्पश्चात् 7–8 साल पूर्व नन्दू बाई पत्नी गोपाल, जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड का स्वर्गवास हो गया तब नन्दू बाई पत्नी गोपाल के मरने के पश्चात उक्त वसीयतनामे के आधार पर अपीलान्ट कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या, जाति कुम्हार, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान एक मात्र उपरोक्त आराजी का खातेदार बना इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाकर अपने अधिकारों से परे जाकर प्राथमिक डिक्री व निर्णय एवं संशोधित डिक्री पारित कर दी है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री व निर्णय एवं संशोधित डिक्री को निरस्त फरमायी जाकर उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट्स का जवाब एवं साक्ष्य आदि लेने हेतु रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.07.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था जिसमें एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स प्रतिवादीगण के वकील साहब के द्वारा दिनांक 08.02.2023 को नो इन्सट्रक्शन प्लीड कर दिया जिसकी सूचना हमें नहीं दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नो इन्सट्रेक्शन प्लीड की सूचना देनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित डिक्री जारी करने से पूर्व भी हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2025 पेज 29 से 32, आर.आर.डी. 2008 पेज 283, आर.बी.जे. 2022 पेज 465 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण में तनकीयात कायम हुई और दिनांक 08.02.2023 को निर्णय पारित किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट कम 1 ने धारा 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम रीछवा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 की खाता संख्या 39 की कुल किता 3 कुल रकबा 22 बीघा 04 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन कर वादिनी का 25/111 हिस्सा अलग खाते दर्ज कर अलग लगान कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस में विभाजन अनुसार तरमीम कर वादिनी को कब्जा संभलाने की प्रार्थना की। अधीनस्थ न्यायालय में वाद की सुनवाई के दौरान दिनांक 08.02.2023 की तारीख पेशी पर वकील प्रतिवादी द्वारा नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने एवं वकील वादिनी द्वारा मुताबिक रिकार्ड वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन वादिनी का वाद स्वीकार कर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्रतिवादी कम 10 लगायत 13 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.02.2023 को नो इंस्ट्रेक्शन

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्लीड कर दिया जिसकी सूचना अपीलांट ने अधिवक्ता ने उन्हें नहीं दी और न ही नो इंस्ट्रेक्शन करने के बाद अपीलांट प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी कर सूचित किया। एक तरफा कानूनी कार्यवाही करके निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है, जो सी. पी. सी. एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। साथ ही अपीलांट का यह कथन है कि वादिनी की माता नन्दूबाई पत्नी गोपाल के द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 25.03.1990 को अपीलांट कम 2 कल्याण उर्फ रामकल्याण पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या के पक्ष में गवाही गवाहान करवा कर उसके पक्ष में निष्पादित कर दिया, तत्पश्चात 7–8 साल पूर्व नन्दूबाई का स्वर्गवास हो गया। नन्दूबाई के मरने के पश्चात उक्त वसीयतनामे के आधार पर अपीलांट कल्याण उर्फ रामकल्याण उपरोक्त आराजी का एक मात्र खातेदार बना इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु अपील के साथ इस प्रकार का कोई वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.02.2023 को नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलांट को नोटिस जारी कर सूचित नहीं किया। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 08.02.2023 की आदेशिका पर यह अंकित करते हुए कि वकील वादिनी द्वारा मुताबिक रिकार्ड वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया। वादिनी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादिनी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 08.02.2023 को प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा "नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड" करने पर अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह उक्त तथ्य की जानकारी हेतु प्रतिवादी अपीलांट को नोटिस प्रेषित कर सूचित करते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार की कोई सूचना अप्रार्थीगण को प्रेषित करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने इसी दिन वादिनी का वाद स्वीकार कर एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जो सी. पी. सी. के विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। इस सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2025 पेज 29 से 32 एवं आर.आर.डी. 2008 पेज 283 प्रस्तुत अपील पर चस्पा होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.02.2023 एवं संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2024 खारिज जाती है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादिनी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा